क्रम संख्या–96 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 18 सितम्बर, 2025 ई0

भाद्रपद 27, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या 613/2025/01(120)/XXVII(8)/2025-TC, CTR-15

देहरादून, 18 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, राज्यपाल,उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 525/2017/9 (120) /XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(1) 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी-

(अ) सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (vii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (viii) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ग) मद (x) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (i) के समक्ष,-

(I)कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(II)कॉलम (5) में निम्नलिखित जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

"परन्तु सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]";

(ख) मद (vi) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, "के अंतर्गत मद" के बाद कोष्ठक और अंक "(i)" जोड़े जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में , -

(क) मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (vi) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "6" के स्थान पर, अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष ,-

(क) कॉलम (3) में मद (iii) के उप मद (ख) के समक्ष कॉलम (4) में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (iv) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
"(iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों से माल का परिवहन।	2.5	परन्तु यह कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट न लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
	or	
	9	-";

(ग) कॉलम (3) में, मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक "6" के स्थान पर, अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
(vi) माल का 'बहु साधन द्वारा परिवहन' (मल्टीमोडल), जहां माल के उठाने के स्थान से माल की डिलीवरी के स्थान तक परिवहन के कम से कम दो अलग-अलग परिवहन के साधन के प्रकार का उपयोग 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' द्वारा किया जाता है, जैसे;		
(क) वायुमार्ग के अलावा किसी अन्य परिवहन माध्यम द्वारा माल का परिवहन।		परन्तु सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट, वस्तुओं के परिवहन की इनपुट सेवाओं (अर्थात अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त वस्तुओं के परिवहन की सेवाएं) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त नहीं लिया गया है।

	2.5	परन्तु यह भी कि जहां बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर को माल के परिवहन की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता, 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां माल परिवहन की ऐसी इनपुट सेवाओं पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। परन्तु यह और भी कि इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।
		उदाहरण: 'ए' एक बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर, बी' को नई दिल्ली से गया तक माल के परिवहन के लिए 1200 रुपये में नियुक्त करता है, जिसमें 'बी' माल की आवाजाही के लिए परिवहन के एक से अधिक साधनों का उपयोग करता है। उक्त सेवा प्रदान करने के लिए 'बी' एक जीटीए यानी 'सी' को 600 रुपये में नियुक्त करता है, जो 9% की दर से राज्य कर वसूलता है। 'बी' अपनी सेवाओं की आपूर्ति के लिए 400 रुपये में एक कंटेनर परिवहन ऑपरेटर 'डी' को भी नियुक्त करता है, जो 2.5% की दर से राज्य कर वसूलता है। 'बी' माल परिवहन की उपर्युक्त इनपुट सेवाओं पर निम्नानुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा: (i) जीटीए की इनपुट सेवा के लिए केवल 15 रुपये (600 रुपये का 2.5%) ना कि 54 रुपये। (ii) कंटेनर परिवहन ऑपरेटर की इनपुट सेवा के लिए 10 रुपये (400 रुपये का 2.5%) की सीमा तक।

(ख) माल का परिवहन जहां परिवहन का कम से कम एक साधन हवाई मार्ग है।	9	परन्तु इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।"

(v) क्रम संख्या 10 के समक्ष ,-

(क) कॉलम (3) में, मद (i) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (ia) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
(ia) मालवाहक वाहन का किराया जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	2.5	परन्तु व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें] परन्तु यह भी कि जहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।
	अथवा	
	9	-";

(vi) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(i) डाक सेवाएँ	9	-
		(ii) कोरियर सेवाएँ	9	-
		iii) स्थानीय डिलीवरी सेवाएँ	9	-

"12	शीर्ष 9968	(क) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से, जहाँ ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। (ख) उपरोक्त (क) के अलावा		–
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अलावा अन्य डिलीवरी सेवाएं	9	-";

(vii) क्रम संख्या 15 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (iv) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(viii) क्रम संख्या 21 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (ia) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संबंधित संगत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(ii) उपरोक्त (i) और नीचे क्रम संख्या 38 के अलावा अन्य व्यावसायिक, तकनीकी और कारोबार सेवाएं";

(ix) क्रम संख्या 24 के समक्ष , कॉलम (3) में, मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(x) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरों के संबंध में किए गए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं;	0.75	
		(ii) निम्नलिखित के संबंध में जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं - (क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 1 से 22 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद; (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 23 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में आने वाले सभी उत्पाद, उक्त अनुसूची के अध्याय 23 के		

"26	शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएँ)	अंतर्गत आने वाले कुत्ते और बिल्ली के भोजन की सामग्री को छोड़कर; (ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 30 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में आने वाले सामान; (घ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 41 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में आने वाले खाल, त्वचा और चर्म उत्पाद; परन्तु खंड (घ) में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 42 या 64 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में आने वाले चमड़े के सामान या जूते के संबंध में किए गए जॉब वर्क पर लागू नहीं होगी; (ङ) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और आवधिक पत्रिकाओं का मुद्रण; (च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में आने वाली सभी वस्तुओं का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से राज्य कर लगता है; (छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में आने वाले वस्त्र और वस्त्र उत्पाद; (ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 68 या 69 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में आने वाली ईंटें जिन पर 2.5% की दर से राज्य कर लगता है; (झ) हीरे के अलावा सभी उत्पाद, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 71 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में आते हैं; (ञ) हस्तशिल्प वस्तुएं; (ट) छाता।	2.5	-";
		(iii) मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा के निर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ;	9	

		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अलावा जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ।	9	
		(v) किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं, निम्नलिखित के संबंध में- (क) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का मुद्रण; (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से राज्य कर लगता है।	9	
		(vi) कपड़ा-सिलाई (टेलरिंग) सेवाएँ।	2.5	
		(vii) उपरोक्त (v) और (vi) के अलावा, किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार (ट्रीटमेंट) या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ।	9	

(xi) क्रम संख्या 32 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (ia) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xii) क्रम संख्या 34 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

(क) मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) मद (iiiक) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: इस मद के खंड (ख) में निहित कोई भी बात 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' पर लागू नहीं होगी।";

(ग) मद (iiiक) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(घ) मद (iv) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(xiii) क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35	शीर्ष 9997	(i) समूह 99972 के अंतर्गत आने वाली सौंदर्य एवं शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं।	2.5	परन्तु सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए

				इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) अन्य सेवाएँ (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएँ; तथा अन्य विविध सेवाएँ, जिनमें अन्यत्र वर्गीकृत सेवाएँ भी शामिल हैं)।	9	-";
		स्पष्टीकरण:- संदेह दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) में मद (i) के अंतर्गत आने वाली आपूर्तियों पर कॉलम (5) में उनके समक्ष निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, कॉलम (4) में उनके समक्ष निर्धारित राज्य कर लगाया जाएगा, जो एक अनिवार्य दर है और इस मद के अंतर्गत निर्दिष्ट दर पर नहीं लगाई जाएगी।		

(xiv) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, शब्दों, अक्षरों, अंकों और चिन्हों "अधिसूचना संख्या 514/2017/9 (120) /XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 की अनुसूची II के 201क" के स्थान पर अधिसूचना संख्या-607/01(120)/XXVII(8)/2025, दिनांक 18.09.2025 की अनुसूची I के क्रम संख्या 437" शब्द, अक्षर, अंक और चिन्ह प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे ।

(ब) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में, -

(क) खंड (xxxvii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(xxxvii)'माल परिवहन एजेंसी' से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक जिसके द्वारा स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(ii) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक जिसके माध्यम से स्थानीय वितरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं";

(ख) खंड (xxxvii) के पश्चात, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

"(xxxviii) 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 530/2017/9 (120) /XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 , समय-समय पर यथासंशोधित, के पैराग्राफ 2 के खंड (यब) में दिया गया है;

(xxxix) 'हस्तशिल्प वस्तुओं' का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 801/2017/9 (120) /XXVII(8)/2017 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 समय-समय पर यथासंशोधित, में दिया गया है।

(xxxx) 'परिवहन के साधन के प्रकार' से अभिप्राय माल को सड़क हवाई जहाज, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किये जाने से है।

(xxxxi) 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,-

(क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराये के एवज में बहुप्रकार के साधनों द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;

(ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो।"

(2). 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, पैरा 4 में, खंड (xxxvi) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण शामिल किए जाएंगे, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'परिसर' से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां से होटल आवास सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है या आपूर्ति की जानी है।

स्पष्टीकरण 2.- उप-खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति' में व्यवसाय के एक अतिरिक्त स्थान की घोषणा करने के लिए पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति शामिल होगा।

आज्ञा से,

डॉ0 अहमद इकबाल,

अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 613/2025/01(120)/XXVII(8)/2025-TC, CTR-15, dated September 18, 2025 for general information:

No. 613/2025/01(120)/XXVII(8)/2025-TC, CTR-15
Dated Dehradun, September 18, 2025

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3), and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 525/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017 namely:-

In the said notification, -

(1) with effect from the 22nd day of September, 2025;

(a) in the Table, -

(i) against serial number 3, in column (3), -

(A) against item (vii), for the entry in column (4), the entry "9" shall be substituted;

(B) against item (viii), for the entry in column (4), the entry "9" shall be substituted;

(C) against item (x), for the entry in column (4), the entry "9" shall be substituted;

(ii) against serial number 7, in column (3), -

(A) against item (i), -

(I) for the entry in column (4), the entry "2.5" shall be substituted;

(II) in column (5), the following shall be inserted, namely: -

"Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]";

(B) in item (vi), in the Explanation, in clause (a), after the words "covered by items", the brackets and figure "(i)," shall be inserted;

(iii) against serial number 8, in column (3),-

(A) against item (v), for the entry in column (4), the entry "9" shall be substituted;

(B) against item (vi), in column (4), for the figure "6", the figure "9" shall be substituted;

(iv) against serial number 9,-

(A) in column (3), against sub-item (b) of item (iii) in column (4), for the figure "6", the figure "9" shall be substituted;

(B) for item (iv) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
"(iv) Transport of goods in containers by rail by any person other than Indian Railways.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
	or	
	9	-";

(C) in column (3), against item (v), in the entry in column (4), for the figure "6", the figure "9" shall be substituted;

(D) for item (vi) in column (3) and the entries corresponding relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) Multimodal transportation of goods where at least two different modes of transport from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods are used by a multimodal transporter, where;		
(a) Transport of goods by any mode of transport other than air.	2.5	Provided that the credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than input tax credit of input services of transportation of goods (i.e. services of transport of goods procured from other service provider), has not been taken: Provided further that where the supplier of input service of transportation of goods to a multimodal transporter charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on such input services of goods transportation in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.: Provided also that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India.

		Illustration: 'A' engages 'B' (multimodal transporter) for transport of goods from New Delhi to Gaya for Rs 1200, wherein 'B' uses more than one mode of transport for the movement of goods. 'B', for supplying the said service hires a GTA i.e., 'C' for Rs 600 who charges state tax at 9%. 'B' also hires 'D', a Container Transport Operator for Rs 400 who charges state tax at 2.5%, for supplying their services. 'B' shall be entitled to take input tax credit on the above-mentioned input services of transportation of goods as under: (ii) Only to the extent of Rs. 15 (2.5% of Rs. 600) and not Rs. 54 for the input service of GTA; (iii) To the extent of Rs. 10 (2.5% of Rs. 400) for the input service of container transport operator.
(b) Transportation of goods where at least one mode of transport is by air.	9	Provided that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India. ";

(v) against serial number 10,-

(A) in column (3), against item (i), in the entry in column (4), for the figure "6", the figure "9" shall be substituted;

(B) for item (ia) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business has not been taken: [Please refer to Explanation no. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken.
	or	
	9	-";

(v) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12	Heading 9968	(i) Postal services	9	-
		(ii) Courier services	9	-
		(iii) local delivery services (a) Supplied through electronic commerce operator where the person supplying such services is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017. (b) other than (a) above	9	-
		(iv) Delivery services other than (i), (ii) and (iii) above	9	-";

(vii) against serial number 15, in column (3), against item (iv), for the entry in column (4), the entry "2.5" shall be substituted;

(viii) against serial number 21, in column (3),-

(A) item (ia), and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(B) for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-

"(ii) Other professional, technical and business services other than (i) above and serial number 38 below";

(ix) against serial number 24, in column (3), against item (ii), for the entry in column (4), the entry "9" shall be substituted;

(x) for serial number 26 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"26	Heading 9988 (Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others)	(i) Services by way of job work in relation to diamonds falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);	0.75	-";
		(ii) Services by way of job work in relation to- (a) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); (b) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975), except dog and cat food falling under Chapter heading 2309 in the said schedule; (c) goods falling under Chapter 30 in the First	2.5	

		Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); (d) Hides, skins and leather falling under Chapter 41 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); Provided that nothing contained in clause (d) shall apply to job-work in relation to leather goods or foot wear falling under Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), respectively; (e) Printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals; (f) Printing of all goods falling under Chapter 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975) which attract state tax @2.5% or Nil; (g) Textiles and textile products falling under Chapter 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); (h) bricks falling under Chapters 68 or 69 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975) which attract state tax @2.5%; (i) all products, other than diamonds, falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); (j) handicraft goods; (k) umbrella.		
		(iii) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption;	9	
		(iv) Services by way of job work other than (i), (ii), and (iii) above.	9	
		(v) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to- (a) printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals; (b) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975) which attract state tax @2.5% or Nil.	2.5	
		(vi) Tailoring services.	2.5	

		(vii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, other than (v) and (vi) above.	9	

(xi) against serial number 32, in column (3),-

(A) against item (i), for the entry in column (4), the entry "2.5" shall be substituted;

(B) against item (ia), for the entry in column (4), the entry "2.5" shall be substituted;

(xii) against serial number 34, in column (3),-

(A) against item (ii), for the entry in column (4), the entry "2.5" shall be substituted;

(B) in item (iiia), the following explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation: Nothing contained in clause (b) of this item shall apply to a 'recognised sporting event'.";

(C) against item (iiia), for the entry in column (4), the entry "20" shall be substituted;

(D) against item (iv), for the entry in column (4), the entry "20" shall be substituted;

(xiii) against serial number 35 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35	Heading 9997	(i) Beauty and physical well-being services falling under Group 99972.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]
		(ii) Other services (washing, cleaning, and dyeing services; and other miscellaneous services including services nowhere else classified). Explanation.- For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supplies covered by item (i) in column (3) shall attract state tax prescribed against them in column (4) subject to conditions specified against them in column (5), which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate specified under this item.	9	-";

(xiv) against serial number 38, in column (3), in the Explanation, for the words, letters, figures, and symbols "201A of Schedule II of the notification No. 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated the 29th June, 2017 ", the words, letters, figures, and symbols "437 of Schedule I of notification No.607/2025/01(120)/XXVII/2025, dated.18.09.2025 " shall be substituted;

(b) in paragraph 4 relating to Explanation,-

(i) for clause (xxxvii), the following clause shall be substituted, namely: -

"(xxxvii)'goods transport agency' means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include

(i) electronic commerce operator by whom the services of local delivery are provided;

(ii) electronic commerce operator through whom the services of local delivery are provided";

(ii) after clause (xxxvii), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(xxxviii) 'recognised sporting event' has the same meaning as assigned to it in clause (zw) of paragraph 2 of notification No. 530/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated the 29th June, 2017 as amended from time to time;

(xxxix) 'handicraft goods' shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. 801/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated the 12th October, 2017 as amended from time to time;

(xxxx) 'mode of transport' means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea;

(xxxxi) 'multimodal transporter' means a person who, -

(a) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and

(b) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract.".

(2) With effect from 1st day of April, 2025, in paragraph 4, in clause (xxxvi), the following Explanations shall be inserted, namely: -

"*Explanation 1.*- For the purposes of this clause, premises means a place from where 'hotel accommodation' services are being supplied or are to be supplied.

Explanation 2.- For the purpose of sub-clause (c), the expression 'a person applying for registration' shall include a person applying for amendment of registration to declare an additional place of business.".

By Order,

Dr. AHMED IQBAL,
Additional Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 53 वित्त/403–2025–100+100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।